



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 616 राँची, बुधवार, 26 आश्विन, 1945 (श०)
18 अक्टूबर, 2023 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

12 अक्टूबर, 2023

ज्ञापक:-JUIDCO/DPR Preparation/Ranchi WSS Phase II/1986/2019/4875--

विषय:- नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन एशियन डेवलपमेंट बैंक संपोषित झारखण्ड अर्बन वाटर सप्लाई इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट (JUWSIP) के अंतर्गत राँची शहरी जलापूर्ति फेज-2, पैकेज-C परियोजना हेतु आमंत्रित निविदा में सक्षम निविदादाता द्वारा निविदित राशि रु 74,55,71,008.26/- जो स्वीकृत प्राक्कलित दर से 12.95% और पुर्व में प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से 17.12% अधिक के दर पर कार्य आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

भारत के संविधान के 74वें संशोधन के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार राज्य के नागरिकों को मौलिक/बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्प है। इसी आलोक में राँची शहरी जलापूर्ति फेज-2, पैकेज-C परियोजना का सूत्रण किया गया है, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक संपोषित JUWSIP के अंतर्गत है। इसकी प्राक्कलित राशि 88,57,72,612.40 रु. मात्र है।

2. राँची शहरी जलापूर्ति फेज-2, पैकेज-C परियोजना को पाँच वर्षों के रखरखाव के साथ कुल ₹0 88,57,72,612.40/- की तकनीकी स्वीकृति दिनांक 01.09.2022 को तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार से प्राप्त है। इस स्वीकृत राशि में ₹0 66,00,83,105/- निविदा के लिए आमंत्रित अवयवों (BOQ) के लिए है। योजना को कुल ₹0 88,57,72,612.40/- (अट्ठासी करोड़ संतावन लाख बहतर हजार छः सौ बारह रुपये चालीस पैसा) हेतु प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिपरिषद् की दिनांक 24.02.2022 को हुई बैठक में प्राप्त हुई थी (अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न)
3. राँची शहरी जलापूर्ति फेज-2, पैकेज-C परियोजना के कार्यों हेतु जुड़को लि0 द्वारा दिनांक 20.10.2022 को ई-निविदा द्वारा द्वितीय निविदा आमंत्रित की गई थी। इस निविदा में दो निविदादाताओं द्वारा भाग लिया गया था। जिसमें दोनों निविदादाताओं को तकनीकी रूप से सक्षम पाया गया एवं तकनीकी मूल्यांकन पर एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहमति प्राप्त करते हुए दोनों निविदादाताओं के Financial Bid को खोला गया। जिसमें L-1 निविदादाता द्वारा निविदित राशि को Estimated rate से 12.95% अधिक पाया गया, तथा L-2 निविदादाता द्वारा निविदित राशि को Estimated rate से 18.08% अधिक पाया गया।
4. इस दौरान दोनों निविदादाताओं से उनके द्वारा समर्पित निविदा एवं EMD (Earnest Money Deposit) की बैधता बढ़ाने का आग्रह किया गया, ताकि निविदा संबंधित कार्रवाई पूर्ण रूप से संपादित की जा सके। प्रतिउत्तर में केवल L-1 निविदादाता के द्वारा ही निविदा एवं EMD की बैधता बढ़ाई गई। जिस कारण L-2 निविदादाता निविदा प्रक्रिया से बाहर हो चुका है।
5. L-1 निविदादाता के द्वारा निविदित राशि परियोजना के प्राक्कलित राशि से 12.95% अधिक है। निविदादाता ने दिनांक 03.07.2023 को निविदित दर की प्रमाणिकता के लिए हुई निविदा समिति की बैठक में यह सूचित किया कि उनके द्वारा निविदित राशि बहुत ही प्रतिस्पर्धी है।
6. उक्त निविदित राशि के आलोक में प्रस्तावित परियोजना के निर्माण की लागत राशि (CAPEX) ₹0 69,78,35,578.26/- है एवं इसके रख-रखाव की राशि (OPEX) ₹0 4,77,35,430/- है।

Particulars		Administrative Approval Amount (Incl. GST 12% & Labour Cess 1%) (Based on JSOR 2021 and MJP-SOR 2019)	Revised Technical Sanctioned Amount of the BOQ (Incl. GST 18% & Labour Cess 1%) (Based on JSOR 2022 and MJP-SOR 2021)	Tendered Amount by L - 1 Bidder (Incl. GST 18% & Labour Cess 1%)
CAPEX	Civil Cost	52,49,57,829.22	60,70,55,801.52	69,78,35,578.26
	Admin, Provisional & DPR-PMC Cost	6,34,37,934.22	-	-
OPEX (O&M for 5 yrs)		4,78,41,051.45	5,30,27,303.83	4,77,35,430
Power Cost		24,95,35,797.51	-	22,84,11,170.73
Grand Total		88,57,72,612.40	66,00,83,105.35	97,39,82,179

7. उक्त के आलोक में परियोजना का वित्त पोषण निम्नवत् प्रस्तावित है:-

(Amount in Rs.)

		Tendered Amount by L – 1 Bidder with Admin Cost as per AA	ADB Share (70%)	State Share (30%)	Non-JUWSIP Part, to be paid by ULB
CAPE X	Civil Cost	69,78,35,578.26	48,84,84,904.78	20,93,50,673.48	-
	Admin, Provisional & DPR-PMC Cost	6,34,37,934.22	1,81,91,607.94	4,52,46,326.28	-
	OPEX	4,77,35,430	1,64,69,019	3,12,66,411	-
	Power Cost	22,84,11,170.73	-	-	22,84,11,170.73
	TOTAL	103,74,20,113.21	52,31,45,531.72	28,58,63,410.76	22,84,11,170.73

8. उपरोक्त तालिका के अनुसार प्रस्तावित परियोजना के कार्यान्वयन की लागत राशि (CAPEX) का 70% एशियन डेवलपमेंट बैंक से ऋण के रूप में एवं 30% राज्यांश के रूप में देय होगा। OPEX की राशि में राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर के आधार पर आगामी पाँच वर्षों में अनुमानित विद्युत खपत के वहन का वित्तीय प्रावधान भी किया गया है।

एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) के दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना का निर्माण पूर्ण होने पश्चात् 3 वर्षों तक परिचालन एवं रख-रखाव की राशि (OPEX) का ही वहन उनके द्वारा किया जाएगा जिसमें की बिजली के बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा। अतः शेष 2 वर्षों के लिए परिचालन एवं रख-रखाव की राशि तथा पूरे 5 वर्षों के लिए बिजली के बिल के विरुद्ध किए जाने वाले भुगतान का वहन राज्य योजना मद से किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त के कारणवश OPEX की राशि को दो हिस्सों में विभक्त किया गया है। OPEX के प्रथम भाग का 70% ही एशियन डेवलपमेंट बैंक से ऋण के रूप में एवं 30% राज्यांश के रूप में देय होगा। OPEX का द्वितीय भाग (2 वर्षों के लिए परिचालन एवं रख-रखाव की राशि तथा पूरे 5 वर्षों के लिए बिजली के बिल के विरुद्ध किए जाने वाले भुगतान) को राज्य मद से वहन करना होगा जो संबंधित नगर निकाय को विद्युत की वास्तविक की खपत के आधार पर प्राप्त विपत्र के आधार पर देय होगा। ADB ने यह भी स्पष्ट किया है कि परियोजना के क्रियान्वयन में अगर किसी तरह का विलंब होता है तो ADB उसके कारण O & M Period को cover करने हेतु ऋण की अवधि में विस्तार नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में बचे हुए समय के O&M की राशि का वहन राज्य योजना मद से किया जाना प्रस्तावित है।

9. उपर्युक्त कंडिका-07 में अंकित JUWSIP के अंतर्गत आने वाली राशि (ADB Share + State Share) अर्थात् 8090.08 लाख रु. एवं Non-JUWSIP भाग की राशि अर्थात् 2284.11 लाख रु. का वहन EAP परियोजान हेतु सुसंगत बजट शीर्ष से किया जायेगा।

10. उक्त परियोजना के CAPEX भाग का वर्षवार वित्तीय लक्ष्य निम्नवत् है:-

क्र.	वित्तीय वर्ष	वित्तीय लक्ष्य (लाख में)
i	2023-24	2537.58
ii	2024-25	2537.58
iii	2025-26	2537.58
	कुल	7612.74

पुनः प्रस्तावित परियोजना के पूर्ण होने के उपरान्त अगले 5 वर्षों तक इसके परिचालन एवं रख-रखाव में वर्षवार राशि का व्यय निम्नवत् करने का प्रस्ताव है:

क्र.	वित्तीय वर्ष	वित्तीय लक्ष्य (लाख में)
	2025-26	486.58
	2026-27	546.63
	2027-28	560.67
	2028-29	575.73
	2029-30	591.85
	कुल	2761.47

11. एशियन डेवलपमेंट बैंक से प्राप्त निदेश के आलोक में JUWSIP अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं हेतु जुड़को में प्रत्येक परियोजना के लिए अलग-अलग बैंक खाते का संधारण किया जाएगा जिसमें राशि का हस्तांतरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। परियोजना का कार्यान्वयन आरंभ होने के उपरान्त उपलब्ध कराई गई राशि का उपयोग संबंधित परियोजना के बैंक खाते से विपत्रों के भुगतान के लिए किया जाएगा। तदनुसार विपत्रों के भुगतान के पश्चात् claim form CAAA (सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा प्रभाग), Ministry of Finance (DEA) को समर्पित किया जाएगा, जिसके द्वारा राज्य सरकार को अनुमान्य व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
12. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में निम्नांकित निर्णय लिए गए हैं:-
राँची शहरी जलापूर्ति परियोजना फेज-2, पैकेज-C की निविदा का निस्तार विभागीय स्तर पर करने के लिए 10% की सीमा को शिथिल करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
13. उक्त योजना पर मंत्रीपरिषद् की दिनांक 05.10.2023 की बैठक में मद संख्या-32 के रूप में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव।
